न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3, अयोध्या।

जमानत प्रार्थना पत्र सं.–528/2026
Computer Registration No–1102/2026
C.N.R. No. UPFZ0–1003226–2026

1. **राजेन्द्र** आयु लगभग 43 वर्ष पुत्र स्व० रामधीरज निवासी ग्राम पाराताजपुर थाना इनायतनगर जिला अयोध्या .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य .....विपक्षी

मु.अ.सं.–273/2017
धारा– 323, 308, 504 भा०दं०सं०
थाना– इनायतनगर
जिला अयोध्या।

जमानत आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त **राजेन्द्र** द्वारा मु.अ.सं.–273/2017 अंतर्गत धारा– 323, 308, 504 भा०दं०सं०, थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या के प्रकरण में यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–483 बी.एन.एस.एस./439 दं०प्र०सं० सत्र न्यायाधीश अयोध्या के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज होने के उपरांत अंतरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त कराया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत है इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थना पत्र जमानत माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लम्बित नही है। प्रार्थी बिल्कुल बेगुनाह है और उपरोक्त मुकदमा मे प्रार्थी को रंजिश के कारण बिल्कुल झूठा फंसाया गया है। कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नामित नही है। उपरोक्त मुकदमा मूलरूप से धारा 323, 504 भा०दं०सं० मे पंजीकृत हुआ है और विवेचक द्वारा दौरान विवेचना धारा 308 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी कर गवाहों के साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी की नामजदगी गलत पाते हुए प्रार्थी का नाम आरोप पत्र से विलोपित कर दिया गया। प्रार्थी को धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र के आधार पर तलब किया गया है। सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटना के समय वादी मुकदमा के घर में कुल 11 सदस्य थे किन्तु वादी मुकदमा के अलावा उसके घर परिवार के किसी भी सदस्य का मुकदमे में गवाह न होना सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य को सन्देहास्पद बनाता है। उपरोक्त मुकदमा के चोटहिल की मेडिकल रिपोर्ट मे डाक्टर द्वारा उसे बेहोस न लिखा जाना सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य को सन्दिग्ध बनाता है। चोटहिल वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गये सशपथ साक्ष्य मे प्रार्थी द्वारा उसके सिर पर मारने का कोई आरोप भी प्रार्थी पर नही है चोटहिल के सशपथ साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध धारा 308 I.P.C का अपराध ही नही बनता है। वादिनी के सशपथ साक्ष्य मे यह तथ्य स्पष्ट है कि "ऐसे किसी व्यक्ति का नाम पूरे मुकदमे मे नही लिखाया है जिसने वादिनी को घटना वाले दिन घर से कूड़ा ले जाते, कुहा फेंकते अथवा कूड़ा लेकर घर से निकलते किसी भी व्यक्ति ने देखा हो।"अभियोजन साक्ष्य के अवलोकन से सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध, भ्रामक एवं बिल्कुल झूठा प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नही किया गया है। साक्षी P.W 2 के सशपथ साक्ष्य में साक्षी PW-2 का घटना के समय अपने घर पर मौजूद होना अंकित है। कथित घटना स्थल से 15-20 घरो की आबादी के बाद उसका घर मौजूद होना और कथित घटना का चश्मदीद साक्षी होना स्वयं में ही सन्देहास्पद है

3. वादिनी मुकदमा उर्मिला ने थानाध्यक्ष को एक तहदीर दिया जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 273/2017 पंजीकृत किया गया। तहरीर के अनुसार दिनांक 12.06.2017 समय 8 बजे सुबह प्रार्थिनी अपने खाद के गड्ढे में कूड़ा फेंकने गयी थी। उक्त खाद के गड्ढे का वाद मा०न्या० मे

Digitally signed by JANARDAN PRASAD YADAV
Date: 2026.07.04 17:23:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विचाराधीन है उसी को लेकर विपक्षीगण कूड़ा फेंकने से मना करते हुए गाली गुप्ता देने लगे। प्रार्थिनी ने जब गाली देने से मना किया तो रामधीरज, राजेन्द्र, वीरेन्द्र लात, घूसों, डण्डों व फावड़ा के बेट से काफी मारा पीटा जिससे मेरे कई जगह चोटे आयी है।

4. प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी को रंजिश की बिना पर झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और न ही उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित की गई है। विवेचक द्वारा आरोप पत्र मे प्रार्थी की नामजदगी गलत पाते हुए अभियुक्त का नाम विलोपित किया था परन्तु अभियुक्त को न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित था दौरान विवेचना पुलिस ने उसका नाम निकाल दिया था। प्रथम दृष्टया वह दोषी पाया गया जिसकी पुष्टि पी०डब्लू 1 व पी०डब्लू 2 के बयान से हुई जिसके आधार पर न्यायालय ने उनको पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए प्राथमिक तौर पर यह पाया कि वे इस अपराध के तहत दोषदण्डित किया जा सकता है इस कारण अभियुक्त को तलब किया गया है अभियुक्त का अपराध मुख्य अपराधी के रूप मे है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा को लात, घूसों, फावड़ों व डण्डों से मारे पीटे जाने का आरोप लगाया गया है। वादिनी मुकदमा पी०डब्लू 1 उर्मिला ने अपने मुख्य परीक्षा मे यह कथन किया है कि अभियुक्त वीरेन्द्र ने फावड़े के बेट से उसके सिर पर मारा जिससे उसका सिर फट गया था और वह मौके पर ही गिर कर बेहोश हो गयी। अभियुक्त राजेन्द्र ने लाठी से व अभियुक्त रामधीरज ने लात, मूका से मारा था परन्तु चोटहिल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चोटहिल को कुल दो चोटें आना अंकित है जिसमें केवल एक चोट सिर पर आना अंकित किया गया है। चोटहिल को निम्न चोटें पाईं गई हैं–**चोट संख्या 1** A L.W. of area 7.0 cm × 0.7 cm × scalp deep present over the left side of occipital region of scalp, 5.0 cm above from left masraid process fresh bleeding present, Adv. CT head. **चोट संख्या 2–** A contusion of area 3.0 cm × 3.0 cm with central abraison of 0.5 cm × 0.5 cm present over the upper portion of right back just above the supario–latedend of right end. Reddish in cloour. अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा चुका है। सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **राजेन्द्र** द्वारा मु.अ.सं.–273/2017 अंतर्गत धारा– 323, 308, 504 भा०दं०सं०, थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 25000 (पच्चीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो – दो प्रतिभूगण प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(जनार्दन प्रसाद यादव)
J.O. CODE– UP 6431
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं.–3, अयोध्या

दिनांक–04.07.2026